समाचार

अवैध निर्माण पर कड़ी नजर

बिना अनुमति निर्माण का प्रयास, निगम ने बंद कराया कार्य

(आयुक्त ने कहा–विधिवत अनुमति प्राप्त करने के बाद ही करें भवन निर्माण)

कोरबा 02 मार्च 2023 – निगम से भवन अनुज्ञा प्राप्त किए बगैर महाराणा प्रताप नगर में किए जा रहे भवन के निर्माण कार्य को निगम के अमले ने मौके पर पहुंचकर तुरंत बंद कराया तथा संबंधित को कड़ी हिदायत दी कि वे अवैध निर्माण का प्रयास न करें। आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि वे नगर निगम से विधिवत भवन अनुज्ञा प्राप्त करने के बाद ही भवन आदि का निर्माण करें। उन्होने निगम के अधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिए हैं कि वे अवैध निर्माण पर सतर्क नजर रखे तथा ऐसे किसी भी अवैध निर्माण पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।

नगर पालिक निगम कोरबा के वार्ड क्र. 24 महाराणा प्रतापनगर अटल आवास के समीप मुख्य मार्ग पर भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया गया था, निगम के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर भवन निर्माण की अनुमति संबंधी जानकारी संबंधित व्यक्ति से ली, जिसमें पाया गया कि नगर निगम से अनुमति प्राप्त किए बगैर ही भवन निर्माण कराया जा रहा है, निगम अमले ने इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए निर्माण कार्य को बंद करा दिया तथा संबंधित को हिदायत दी कि वे बिना अनुमति निर्माण कार्य प्रारंभ न करें अन्यथा कड़ी कार्यवाही होगी। आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने बिना अनुमति के किए जाने वाले भवन आदि के निर्माण को गंभीरता से लेते हुए निगम के जोन कमिश्नरों, भवन अधिकारी एवं अन्य मैदानी अधिकारी कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने–अपने कार्य क्षेत्रों में भवनों आदि के निर्माण पर सतर्क नजर रखें तथा यह देखें कि निगम से भवन अनुज्ञा प्राप्त की गई है या नहीं यदि बिना अनुमति के भवन आदि के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है तो इस पर त्वरित कार्यवाही करें। उन्होने संबंधित लोगों से भी कहा है कि वे निगम से विधिवत

भवन अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात ही भवन आदि का निर्माण प्रारंभ करें तथा निगम द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचें।